न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D 13/2017 श्री पप्पूसिंह **बनाम** श्री बाबूलाल

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11–06–2018	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में उभयपक्ष की सुनी गई बहस व पत्रावली के रेकर्ड का अवलोकन कर बहस पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहूंचे है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में अपने आदेश दिनांक 31–1–2014 से प्रारम्भिक डिक्री जारी की। जिसकी पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अंतिम डिक्री दिनांक 3–7–2015 को लोक अदालत में उभयपक्षों की अनुपस्थिति में जारी कर दी गई। दिनांक 3–7–2015 को जारी अंतिम डिक्री पर दिनांक 6–7–2015 को अपीलान्ट द्वारा रिव्यू आवेदन पेश किये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20–6–2016 को उक्त रिव्यू आवेदन स्वीकार कर आपत्ति को ध्यान में रखते हुए पुनः डिक्री जारी करने के आदेश पारित किये। उपरोक्त अधिनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 20–6–2016 में यह वर्णित किया गया कि आवेदक अपीलान्ट की आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए संशोधित डिक्री जारी हो एवं इसकी पालना में पुनः प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20–6–2016 को जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलबी हेतु दिंनाक 20–6–2016/18–7–2016 को नायब तहसीलदार भीण्डर को लिखा गया। नायब तहसीलदार भीण्डर द्वारा उक्त प्रकरण में अपने अधिकारों का प्रत्यायोजन पटवारी को कर दिया गया तथा पटवारी द्वारा ही पक्षकारान को नोटिस जारी किये गये तथा पटवारी एवं गिरदावर द्वारा तैयार रिपोर्ट को उप–तहसीलदार भीण्डर ने अपने पत्र क्रमांक 480 दिनांक 21–11–2016 से अधिनस्थ न्यायालय को अग्रेसित किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी व गिरदावर द्वारा तैयार रिपोर्ट तथा उप–तहसीलदार भीण्डर द्वारा अग्रेसित रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 20–4–2017 को अपीलान्ट की आपत्तियों जिसके आधार पर रिव्यू कर संशोधित डिक्री जारी की गई थी, जिसमें पटवारी व गिरदावर के विभाजन हेतु अनाधिकृत होने के मूल आधार को दर–किनार कर पुनः पूर्वानुसार ही जारी डिक्री को बहाल कर दिया। स्पष्टतया अधिनस्थ	

न्यायालय द्वारा अपने रिव्यू आदेश दिनांक 20–6–2016 की अवहेलना की है, साथ ही प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 20–6–2016 के क्रम में अधिकृत नायब तहसीलदार भीण्डर के स्थान पर पटवारी व गिरदावर अनाधिकृत कार्मिकों द्वारा तैयार रिपोर्ट को मान्यता दी है, जो तथ्यात्मक व विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा स्वयं के रिव्यू आदेश की अपालना तथा अनाधिकृत कार्मिकों द्वारा तैयार रिपोर्ट के आधार पर पारित निर्णय दिनांक 20–4–2017 को अपास्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 20–4–2017 अपास्त किया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ **प्रतिप्रेषित** किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय अपने रिव्यू आदेश दिनांक 20–6–2016 की पालना में अधिकृत अधिकारी से विभाजन प्रस्ताव तलब करें तथा अपीलान्ट की आपत्तियों का विधिक निस्तारण कर प्रकरण में अंतिम डिक्री पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 13–8–2018 को उपस्थित होवें।

पत्रावलियां बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 7–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

प्रकरण संख्या Ud-D 13 / 2017 श्री पप्पूसिंह **बनाम** श्री बाबूलाल

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ**. ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गणेश लाल नागदा पिता श्री कालूलाल नादा निवासी पुला शोभागपुरा रोड़ पटवार मण्डल के पास शोभागपुा स्कूल के सामने तहसील गिर्वा जिला उदयपुर

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री तेजपाल कटारिया निवासी 343 भोपालपुरा उदयपुर (राज0) अन्य 10 व सरकार

अपील नं0 84 / 2012 बनाराजगी डिगरी अदालत .... सहायक कलक्टर मु0...... .... उदयपुर .... मुकाम मुर्क्खे...........27.............. माह ....02........... 1993

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 15..... माह ......06.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री सत्य प्रकाश व्यास .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री संजय बोहरा .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अतः अपील अपीलान्ट दूषित (Defectiv) होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27–2–1993 यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........15..... माह ...06........ 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
1. स्टाम्प अपील					
2. स्टाम्प वकालत नामा.......					
3. इजराय हुक्मनामा					
4. वकील फीस बाबत					
मीजान					
.					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41. रूल 35 जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत .... **भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.** ....मुकाम ....
उदयपुर व इजलास .... **एल.एन. मंत्री आर.ए.एस.** ....

श्री गांगा पिता देवा डांगी
निवासी खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य –2

बनाम

श्री भंवर लाल पिता श्री कालूलाल
निवासी गांव खेड़ी तहसील गिर्वा
जिला उदयपुर (राज0)
अन्य–6

अपील मूत नं0 3/2015 बनाराजगी डिगरी अदालत ....भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी ......उदयपुर .... मुकाम मुर्ख्खे...........08.............. माह ....07........... 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख ...... 25..... माह ......05.......... सन् 2016 रूबरू... पक्षकारान व हाजरी ....श्री मन्नाराम डांगी .... मिनजानिब अपीलान्ट व ....श्री .... रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि .... प्रकरण में वकील अपीलान्ट द्वारा पेश शुदा आवेदन दफा–152 जाब्ता दीवानी का अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि इस न्यायालय द्वारा जारी डिक्री अन्तर्गत प्रकरण संख्या 46/2004 निर्णय दिनांक 8–7–2010 में अंकित आराजी नं0 3261 रकबा 0. 800 हैक्टर लिपिकीय/टंकण त्रुटि से गलत अंकित हो गया है। इसके स्थान पर आराजी नंबर 3231 रकबा 0.0800 हैक्टर अंकित किया जावे।

(खर्चा अपीली हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग ....X.... रूपये..... X ......अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .... X .... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख........14..... माह ...06....... 2016 को जारी किया गया।

(एल.एन.मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेसपोन्डेन्ट	रू0	रू0
5. स्टाम्प अपील .... 6. स्टाम्प वकालत नामा....... 7. इजराय हुक्मनामा .... 8. वकील फीस बाबत .... मीजान					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खचार्ज अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।